न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R - 2089 - II/14

लक्ष्मीप्रताप सिंह तनय रंगदेव सिंह बघेल, नि0 ग्रा0 कंछेवार, तह0 रामपुर नैकिन, जिला-सीधी (म0प्र0) ——आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) श्यामसुन्दर,) सभी के पिता रामसिया ग्रा0
(2) रामसुन्दर,) सभी निवासी- ग्रा0क छेवार, तह0
(3) ओमप्रकाश,) रामपुर नैकिन, जिला- सीधी (म0प्र0)
(4) भैयालाल,)
(5) रामाश्रय,) ——अना0/गैरनिगरानी कर्तागण

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि0 द्वारा आज दि. 10-7-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन, जिला- सीधी(म0प्र0) द्वारा प्रक0क्र0-30/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01-07-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सं0 1959 ई0 ।

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 10-7-2014

महोदय,

निगरानी/आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता के पिता स्व0 रंगदेव सिंह बघेल द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जानकारी गैरनिगरानीकर्तागण को पूर्व से ही थी, प्रमाण स्वरूप गैरनिगरानी-कर्तागण के विधिवत हस्ता0 बने हुए हैं। जिससे स्वमेव प्रमाणित है कि गैरनिगरानीकर्तागण विचारण न्याया0 के समक्ष लम्बित कार्यवाही एवं पारित

लक्ष्मी प्रताप सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2089-दो/14 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/05/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 30/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	